बिहार सरकार

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC- 999

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्रीमती ममता कुमारी,
पति–श्री सुधिर नारायण,
ग्राम+पोस्ट–मउ, थाना–टेकारी,
जिला–गया, पिन–824235

पटना 14, दिनांक– 04/11/2020

विषय– श्रीमती ममता कुमारी द्वारा गया जिलान्तर्गत मउ मौजा के खाता संख्या–849, प्लॉट संख्या–3961, 3963, थाना–टेकारी, SH-69 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0175 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44387/2020/4326, दिनांक 03.11.2020 (छायाप्रति संलग्न),

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/44387/2020/4326, दिनांक 03.11.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 15 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है।

2. सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्त संख्या–2 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 287/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 7,29,862/– (सात लाख उनतीस हजार आठ सौ बासठ रूपये) मात्र की राशि प्रयोक्ता एजेंसी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 287 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.0175 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 10,955/– (दस हजार नौ सौ पचपन रूपये) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रसंगाधीन पत्र के कंडिका–4 में Penal NPV (Penal Net Present Value) की शर्त्त अधिरोपित की गयी है। उक्त अधिरोपित शर्त्त के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा Penal NPV के रूप में NPV मद में आकलित राशि के समतुल्य राशि रू. 10,955.00 (दस हजार नौ सौ पचपन रूपये) वन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153139

5. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका–2, कंडिका–3 एवं कंडिका–4 की क्रमशः राशि रू. 7,29,862.00 (+) रू. 10,955.00 (+) 10,955.00 अर्थात कुल रू. 7,51,772.00 (सात लाख एकावन हजार सात सौ बहत्तर रूपये) मात्र को विभागीय वेबसाईट parivesh.nic.in से e-challan Generate करने के उपरांत Download करते हुए संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 15 तक अधिरोपित शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/–

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC- 999 दिनांक 04/11/2020

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को प्रासंगिक पत्र की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपके द्वारा विषयक प्रस्ताव से संबंधित प्राक्कलन 11 वर्षो का उपलब्ध कराया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अतएव अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय संशोधित प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 287/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। मॉडल प्राक्कलन इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

ह०/–

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक FC- 999 दिनांक 04/11/2020

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, गया अंचल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.11.2020

(राकेश कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153139